राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 41/2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी–इण्डियाबुल्स हाऊसिंग फाईनेंस लि0 शाखा कार्यालय–प्रथम तल वैभव काम्प्लेक्स, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर **बनाम**

-- प्रार्थी

1. बेबी डेनियल मकान नंबर एफ–126 राजपूत कॉलोनी, सुभाष नगर, भीलवाड़ा एवं मैसर्स श्री गुडविल इलेक्ट्रीकल्स एण्ड इंजिनियर्स, मालोला चौराहा, मारूति कालॉनी, भीलवाड़ा
2. मेरी डेनियल निवासी मकान नंबर एफ–126, राजपूत कॉलोनी, सुभाष नगर, भीलवाड़ा
3. सुरेश कुमार टेलर निवासी सी 290, सुभाष नगर, भीलवाड़ा

--अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री रवि चौबे।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 27.07.2022

प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियाबुल्स हाऊसिंग फाईनेंस लि0 शाखा कार्यालय–प्रथम तल वैभव काम्प्लेक्स, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी का 17,71,061/– रूपये का ऋण दिनांक 28.01.2017 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – हाऊस नंबर बी, पार्ट ऑफ प्लाट नंबर एफ, 126, आराजी संख्या 513, राजपूत कॉलोनी, सुभाष नगर ईस्ट विस्तार, भीलवाड़ा (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 26.06.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 18,08,363/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 26.06.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।